

• कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 1334/11-सी-FP/UP/Road/147236/2021, लखनऊ, दिनांक: नवम्बर 24, 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
देवीपाटन वृत्त, गोण्डा।

विषय:- बहराइच-गोण्डा मार्ग एस०एच०-30 के किमी० 4.150 से किमी० 64.282 तक मार्ग के सुदृढीकरण में बहराइच वन प्रभाग में प्रभावित 15.33 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2250 वृक्षों के पातन, गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 32.0352 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 24897 वृक्षों के पातन तथा श्रावस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 35.356 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 6294 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 82.7212 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 33441 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०6/161/2023/एफ०सी०/295, दिनांक 10.08.2023 एवं आपका पत्रांक-2105/33-1, दिनांक 22.11.2023

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा की गई आपत्तियों का निराकरण आपने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 22.11.2023 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसके परीक्षणोपरान्त निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का अभाव पाया गया:-

1. भारत सरकार की आपत्ति सं०-01 व 02 के निराकरण के क्रम में आपके द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के संशोधित के०एम०एल० फाइल की पेनड्राइव संलग्न किया जाने का उल्लेख है, किन्तु संलग्न नहीं किया गया है।
2. भारत सरकार की आपत्ति सं०-06 के निराकरण के क्रम में श्रावस्ती वन प्रभाग से सम्बन्धित बाधक वृक्षों की संख्या वन संरक्षक के पत्र दिनांक 22.11.2023, प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्यजीव प्रभाग के पत्र दि० 30.09.2023, प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच के पत्र दि० 27.10.2023 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, श्रावस्ती वन प्रभाग के पत्र दि० 01.11.2023 के कुल योग में बाधक वृक्षों की सं० गलत अंकित है। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग के पत्र दि० 09.10.2023 में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं ऑनलाइन पार्ट-2 के आधार पर तीनों वन प्रभागों में बाधक वृक्षों को भिन्न-भिन्न बताया गया है। अतः तीनों वन प्रभागों में सही बाधक वृक्षों का वैज्ञानिक नाम सहित सूची ऑनलाइन पार्ट-2 में अपलोड करें तथा सही संख्या समस्त पत्रों एवं ऑनलाइन पार्ट-2 में अपलोड करें।
3. भारत सरकार की आपत्ति सं०-07 के निराकरण के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच, गोण्डा एवं श्रावस्ती द्वारा सत्यापित मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र ऑनलाइन पार्ट-2 में अपलोड नहीं किया गया है।
4. भारत सरकार की आपत्ति सं०-08 के निराकरण के क्रम में तीनों वन प्रभागों का रोड साइड वृक्षारोपण स्कीम अपलोड नहीं किया गया है।
5. भारत सरकार की आपत्ति सं०-09 के निराकरण के क्रम में सिचाई विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं किया गया है।
6. उपरोक्त समस्त कमियों का निराकरण के उपरान्त भारत सरकार की आपत्तियों का पूर्ण समेकित निराकरण ऑनलाइन पार्ट-2 में अनिवार्य रूप से अपलोड करें।

भवदीय,

18

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 1334 /11-सी-FP/UP/Road/147236/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच, गोण्डा एवं श्रावस्ती।
2. अधिशासी अभियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड, लो०नि०वि०, बहराइच।

18

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।